THE HINDU -

पश्चिम बंगाल में मनरेगा को पुनर्जीवित करना

18 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को 1 अगस्त से फिर से शुरू करने का आदेश दिया। यह आदेश पश्चिम बंग खेत मजूर समिति (PBKMS) द्वारा दायर एक मामले में दिया गया था। इस आदेश से उम्मीद की किरण जगी थी। हालाँकि, क्षेत्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जहाँ मामला अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट करते हुए, द हिंदू ने बताया कि न्यायालय ने कहा कि इस योजना को "अनंत काल तक ठंडे बस्ते में नहीं रखा जा सकता" और केंद्र को पश्चिम बंगाल में "विशेष शर्तें" लगाने की अनुमति देते हुए इसे फिर से लागू करने का निर्देश दिया। फिर भी, तीन साल की चुप्पी के बाद, इस योजना को फिर से शुरू करने का जोखिम एक खोखला कदम साँबित हो सकता है, जब तक कि इसे फिर से चालू करने के लिए तत्काल जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता।

उठाए जाने योग्य कदम

मनरेगा को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। 2005 में लागू, यह योजना माँग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के सवेतन रोज़गार की गारंटी देती है। लाखों लोगों के लिए - खासकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए -यह कम कृषि मौसम और आर्थिक संकट के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।

जब केंद्र ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा निधि रोक दी, तो उसने "व्यापक अनियमितताओं" का हवाला दिया। हालाँकि, लेखक द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला कि यह व्यापक निलंबन केवल 31 कार्यस्थलों से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित था, जबिक राज्य को 2020-21 में मनरेगा के तहत ₹10,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए थे। इतने सीमित साक्ष्यों के आधार पर लॉखों लोगों की जीवनरेखा को रोकना न केवल असंगत था, बल्कि विनाशकारी भी था।

इसका परिणाम बहुत बड़ा रहा है। नीति अनुसंधान समूह लिंबटेक इंडिया के अनुसार, अकेले पहले वर्ष में ही, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण कार्यबल को संभावित मजदुरी में ₹4,000 से 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

लेकिन गहरा नुकसान संस्थागत है। मनरेगा को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी से कहीं अधिक की आवश्यकता है - इसके लिए विश्वास निर्माण, रसद तैयारी और प्रशासनिक ताकत की आवश्यकता है।



Chakradhar **Buddha**

is associated with LibTech India, a centre based in Collaborative Research and Dissemination. Views are personal

एक आधारभूत कार्य कार्यों की पहचान और योजना बनाना है। प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों को ग्राम स्तर पर कार्यों की एक सूची पहले से ही तैयार करनी होती है। जब भी कार्य पुनः आरंभ होंगे, ये प्रारंभिक उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे कि योजना सार्थक हो, न कि एक खोखला प्रयास। व्यवहार्य कार्यों की पहचान किए बिना, कोई भी परियोजना शरू नहीं की जा

पश्चिम बंगाल के बहिष्कार के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर किए गए परिवर्तनों से यह कार्य और भी जटिल हो गया है। पिछले तीन वर्षों में, केंद्र ने पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से कई प्रौद्योगिकी-संचालित सुधार लागू किए हैं।

इनमें से प्रमुख है आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)। एबीपीएस के तहत, श्रमिकों को तभी भुगतान किया जाता है जब उनका आधार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से सही ढंग से लिंक, प्रमाणित और मैप किया गया हो।

21 जून, 2025 तक, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के 2.56 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से 43 लाख से अधिक एबीपीएस के अनुरूप नहीं हैं। सक्रिय के रूप में चिह्नित 18.5 लाख लोगों में से भी - जिन्होंने निलंबन से पहले पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार काम किया था - 2.3 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी अपात्र हैं। त्वरित अनुपालन अभियान के बिना, लाखों लोग इससे बाहर हो सकते हैं। एक व्यावहारिक कदम यह होगा कि केंद्र सरकार ABPS के साथ-साथ खाता-आधारित भुगतान की अस्थायी अनुमति दे, जब तक कि पूर्ण अनुपालन प्राप्त न हो

कर्मचारियों का विलोपन एक और गंभीर चिंता का विषय है। 2022-23 में, पश्चिम बंगाल की सूची से 83 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को हटा दिया गया - राष्ट्रीय स्तर पर हटाए गए कर्मचारियों का लगभग 15%। उनकी पहचान करना और उन्हें बहाल करना ज़रूरी है। फिर भी, प्रति ब्लॉक, ज़िला और राज्य में केवल एक लॉगिन होने के कारण, इस बैकलॉग को संभालना असंभव है। केंद्र को लॉगिन एक्सेस का विस्तार करना चाहिए और बहाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

इस बीच, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली - एक अनिवार्य उपस्थिति ऐप जिसके लिए रीयल-टाइम, जियो-टैंग की गई तस्वीरों की आवश्यकता होती है - एक अड़चन बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों ने तीन साल से कार्यस्थलों का पर्यवेक्षण नहीं किया है, उनसे रातोरात अनुकूलन की उम्मीद करना अवास्तविक है। प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचे के बेहतर होने तक एक अस्थायी छूट और कागज़-आधारित उपस्थिति आवश्यक है।

मानव संसाधन की कमी भी उतनी ही गंभीर है। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को श्रमिकों की तरह वेतन दिया जाता है, लेकिन उनसे उपस्थिति, कार्यस्थल माप और दैनिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती है। वर्षों की निष्क्रियता के बाद, कई लोग आगे बढ़ चुके हैं। राज्य को वित्तीय प्रोत्साहन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मान्यता के माध्यम से उन्हें फिर से शामिल करना चाहिए।

मनरेगा को पुनर्जीवित करने का अर्थ है ऐसी ही विफलताओं को दोबारा होने से रोकना। प्रणालीगत सुधार - जैसे कि बेहतर शिकायत निवारण, समय पर भुगतान, ओपन-एक्सेस डैशबोर्ड और नियमित सामाजिक ऑडिट - केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि पूरी भावना से लागू किए जाने चाहिए।

यह प्रशासन और नागरिक समाज संगठनों के बीच एक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने का भी अवसर है, जो लंबे समय से मनरेगा के कार्यान्वयन और सुधार में लगे हुए हैं। एक पुनर्जीवित राज्य रोजगार गारंटी परिषद वास्तविक समय में संवाद, जवाबदेही और सुधार के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकती है।

केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को इस जीवनरेखा को बहाल करने के लिए अभी से कार्य करना चाहिए - यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी श्रमिक पीछे न

कानुनी अनिश्चितता

अब जब केंद्र सरकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय में है, तो कानूनी अनिश्चितता इस मुख्य बिंदु को और पुष्ट करती है: उच्च न्यायालय का आदेश अंततः लागू हो या न हो, पश्चिम बंगाल में मनरेगा का पुनरुद्धार केवल नौकरशाही के नियमों को तोड़ने के बजाय विश्वास, क्षमता और व्यवस्था के पुनर्निर्माण पर निर्भर करता है।

केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को इस जीवनरेखा को बहाल करने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए - यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी मज़दूर पीछे न छूटे। विफलता ग्रामीण गरीबों के साथ एक बार फिर विश्वासघात होगी। वे त्वरित कार्रवाई के हकदार हैं, खोखले आश्वासनों के नहीं।

ओणम और केरल की सच्ची कहानी

ओणम केरल की सद्भाव, समावेशिता और लचीलेपन की कहानी का प्रतीक है

STATE OF PLAY

P. A. Mohamed Riyas

केरल के पास कहने के लिए सचमुच एक कहानी है - एक ऐसी कहानी जो उस चरित्र, सौहार्द और भाईचारे की भावना को दर्शाती है जो अनादि काल से इसकी सामाजिक संरचना में व्याप्त है: ओणम का प्रतिष्ठित त्योहार।

केरल की सच्ची कहानी का उत्सव, ओणम एकजुटता की एक चिरस्थायी कहानी है, जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की पुरानी यादों से जुड़ी है जहाँ सभी लोग पूर्ण सद्भाव में रहते

ओणम के विचार ने प्राचीन काल से ही मलयाली लोगों के मन में शोषण, लालच, झठ और छल से मक्त एक समतावादी समाज की तीव्र लालसा जगाई है। यह एक ऐसा समाज था जो साझा मूल्यों और अपनेपन की प्रबल भावना से एकजुट था। इस पुरानी यादों का केरल के इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

इस त्योहार से जुड़ा प्रतीकवाद अनोखा और उत्साहपूर्ण दोनों है। किंवदंती है कि ओणमें राजा महाबली की केरल की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है, जिन्होंने युगों पहले इस समृद्ध भूमि पर शासन किया था - एक ऐसी भूमि जहाँ सभी समान थे और सब कुछ न्यायपूर्ण था। 'मावेलिनाड' (महाबली की भूमिं) की पौराणिक कथा के साथ-साथ, ओणम आशा, लचीलेपन और समावेशिता का भी प्रतीक है।

समय के साथ, ओणम वर्ग, जाति और पंथ की बाधाओं को पार करते हए, सभी के लिए उत्सव मनाने का एक अवसर बन गया है। केरल के एक आधुनिक, प्रगतिशील और आकांक्षी समाज में परिवर्तन शुरू होने के बाद से एकजुटता की यह भावना और भी प्रबल हुई है।

केरल की कहानी को आकर्षक और सदैव प्रासंगिक बनाने वाली बात है, बहुलवादी परिवेश में सामाजिक सद्भाव का इसका उत्सव।



भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में अपने गठन के बाद से, केरल सामाजिक विकास और समावेशन के एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। पूर्ण साक्षरता, सार्वभौमिक शिक्षा और एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, प्रसिद्ध केरल मॉडल की कुछ प्रमख विशेषताएँ हैं। इसकी समावेशिता ही इसे असाधारण बनाती

कुछ दिन पहले, केरल ने भारत में पहली बार पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करके सामाजिक-आर्थिक समावेशन की एक और महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली।

यह गहरा परिवर्तन केवल सरकारों द्वारा किया गया कोई चमत्कार नहीं था। राज्य ने श्री नारायण गुरु जैसे अग्रदूतों के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा तैयार की गई ज़मीन पर निर्माण किया है। बेशक, राज्य की वामपंथी राजनीति भी इस बदलाव का एक प्रमुख चालक रही है।

वास्तविक छवि को विकृत करना इन सभी अकाट्य तथ्यों के बीच, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में केरल को एक संघर्षग्रस्त समाज और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती के लिए उपजाऊ ज़मीन के रूप में चित्रित करने के कुछ दुर्भावनापूर्ण प्रयास हुए हैं।

यह भी चिंता का विषय है कि ये झूठे आंख्यान अक्सर प्रतिष्ठित आयोजनों में भी जगह बना लेते हैं और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी हो जाते हैं।

एक ऐसे समाज के रूप में जो अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर गर्व करता है,

मलयाली लोगों ने ऐसे कृत्सित प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिर भी, सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रवीकरण करने वाले निहित स्वार्थी तत्वों का पर्दाफाश करना ज़रूरी है। गैर-मलयाली समुदायों के मन में इस कुत्सित प्रचार ने जो थोड़ी-बहुत गलतफहमी पैदा कर दी है, उसे दूर करने के लिए यह जरूरी है।

ओणम का विचार, जिस तरह से सभी वर्गों के लोग इसकी कामना करते हैं, इसका स्वागत करते हैं और इसे मनाते हैं, वह ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों के नापाक इरादों का एक मज़बूत जवाब है। यह हमारे लेखकों, फिल्म निर्माताओं, रंगमंच हस्तियों और सभी विधाओं के कलाकारों के लिए एक अवसर है कि वे बाहर आकर ओणम को उसकी सच्ची भावना के साथ मनाएँ।

एक सामुदायिक उत्सव घर पर मनाए जाने वाले उत्सवों के

अलावा, ओणम एक सामुदायिक उत्सव बन गया है। ओणम से जुड़ी कई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ सामुदायिक स्थानों पर स्थानांतरित हो गई हैं। इससे सभी वर्ग इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं और सामाजिक एकजुटता को मज़बूत कर सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाला ओणम उत्सव एक वार्षिक उत्सव रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित यह उत्सव राज्य की राजधानी और कई अन्य स्थानों पर केरल की शास्त्रीय, लोक और जातीय कला परंपराओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यह उत्सव इस मौसम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है, साथ ही स्थानीय लोगों को पूरे सप्ताह नृत्य, गीत और नाटकों का आनंद लेने के लिए आकर्षित करता है।

ओणम ने केरल की पारंपरिक कला, शिल्प और ग्रामीण खेलों को जीवित रखा है। यह मौसम केरल में सर्प-नाव दौड़ की शुरुआत का प्रतीक है।

यह सब ओणम के मूल संदेश को दर्शाता है - सामाजिक सद्भाव और समावेशिता, जिसे गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाता है।

पी ए मोहम्मद रियास, केरल के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री हैं।

40% से कम विकलांग व्यक्तियों के पास लाभ के लिए आवश्यक पहचान पत्र है

युडीआईडी आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी कम कवरेज का एक कारण है

आंकड़ों के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों (PwD) की अनुमानित आबादी के 40% से भी कम लोगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड जारी किया गया है, जिससे उन्हें सरकारी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। UDID कार्ड के लिए 11 लाख से ज्यादा आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा आवेदन छह महीने से ज़्यादा समय से लंबित हैं।

केंद्र सरकार के दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग (DEPWD) के अंतर्गत UDID उप-योजना. दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए लागू की गई है। ये कार्ड दिव्यांगजनों को योजनाओं के प्रमुख लाभों तक पहुँच प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक योजना है दिव्यांगजन सहायता (ADIP), जो उन्हें व्हीलचेयर, बैसाँखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल स्लेट आदि खरीदने में मदद करती है। यह उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विकल्प चुनने की भी अनुमति देती है।

23 राज्यों में आधे से भी कम दिव्यांगजनों को यह कार्ड मिला है, और केवल तमिलनाडू, मेघालय, ओडिशा और कर्नाटक (मानचित्र 1) में ही यह हिस्सेदारी 50% के आंकड़े को पार कर पाई है। पश्चिम बंगाल केवल 6% के साथ सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रासंगिक आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे।

दिव्यांगजनों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर काम करने वाले वकील और पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के संस्थापक शशांक पांडे के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूडीआईडी कार्ड कवरेज की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए आँकड़े 2011 की जनगणना और एनएसएसओ के 76वें दौर के आँकड़ों का उपयोग करके अनुमानित दिव्यांगजन जनसंख्या पर आधारित हैं।

श्री पांडे के अनुसार, यूडीआईडी उप-योजना का कार्यान्वयन चरणों में किया गया था। इस योजना की शुरुआत से पहले, ज़िला या तालुका स्तर पर केवल राज्य-विशिष्ट विकलांगता प्रमाण पत्र ही जारी किए जाते थे। श्री पांडे का कहना है कि जब यूडीआईडी प्रणाली शुरू की गई थी, तो पहचान के इस नए रूप में बदलाव के बारे में ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संवाद नहीं किया गया था।

जैसा कि पहले बताया गया है, यूडीआईडी आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी भी कवरेज संख्या कम होने के कई कारणों में से एक हैं। जिन 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, उनमें से आधे से ज़्यादा यूडीआईडी कार्ड के आवेदन छह महीने से ज़्यादा समय से लंबित हैं। जैसा कि मानचित्र 2 में दिखाया गया है, हिमाचल प्रदेश में 80% से ज़्यादा आवेदन छह महीने से ज़्यादा समय से लंबित हैं, जो प्रमुख राज्यों में सबसे ज़्यादा है। लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) और मिज़ोरम में आवेदन में देरी का आंकड़ा पार हो गया।

श्री पांडे बताते हैं कि चूँकि यूडीआईडी कार्ड के लिए केवल वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है, इसलिए इसे जारी करने में बाधा डालने वाला एक और पहलू डिजिटल साक्षरता है। वे बताते हैं, "हर कोई डिजिटल इंटरफ़ेस का उपयोग करने में उतना पारंगत नहीं है।"

ऑनलाइन यूडीआईडी आवेदन के लिए आवेदक से पोर्टल पर स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने की अपेंक्षा की जाती है। नवीनतम सरकारी सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 15 वर्ष से अधिक आयु की भारत की केवल 60% आबादी ही मोबाइल या कंप्यूटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि बनाने या उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग करने में सक्षम है (चार्ट 3)।

यदि केवल महिलाओं पर विचार किया जाए तो यह हिस्सा बहुत कम है। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट संबंधित आँकडे उपलब्ध नहीं थे।

दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं के लिए कुल धनराशि में वृद्धि होने के बावजूद, इनमें से कई लाभों तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण यूडीआईडी उप-योजना के लिए धनराशि में कंमी आई है (चार्ट 4)।

श्री पांडे बताते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के प्रति समग्र उपेक्षा को एक राजनीतिक इकाई के रूप में उनकी ताकत से समझाया जा सकता है। वे कहते हैं, "जनगणना के अनुसार, विकलांग व्यक्ति एक बहुत छोटा राजनीतिक क्षेत्र बनाते हैं, लगभग 2.68 करोड़ लोग, और एक पहचान समूह के रूप में वे वोटों में अंतर लाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है।'


अप्राप्य लाभ


चार्ट के लिए डेटा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: दूरसंचार, और लोकसभा प्रश्न और उत्तर से प्राप्त किए गए थे।






मानचित्र 2: राज्यवार







धनराशि (लाख में) 400 200 2018-19 2019-20